उप-प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) वर्ष 1988-89 के दौरान देश में खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है।

(ख) (मिलियन मीटरी टन)

अखिल भारतीय उत्पादन

फसल	1987-88	1988-89
चावल	56.9	70.7
गेहूं	46.2	54.0
मक्का	5.7	8.3

(ग) से (ङ) जी हां, 1988-89 के दौरान भारत ने सरकार की ओर से अमेरिका से करीब 243.36 मिलियन अमेरिकी डालर की एफ. ओ. बी. लागत पर 20.11 लाख मीटरी टन गेहूं तथा करीब 166.76 मिलियन अमेरिकी डालर की एफ. ओ. बी. लागत पर थाईलैंड से 6.84 लाख मीटरी टन चावल का आयात किया।

ये आयात इसलिए किए गए क्योंकि 1987-88 के सूखे के प्रभाव के कारण खरीद कम होने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कार्यक्रमों के लिए अधिक मांग होने की वजह से जमा-भंडार बहुत कम हो गये थे।

वर्ष 1987 में भारत में सूखा पड़ने पर अमेरिकी सरकार ने अमेरिकी राज्य सरकार एजेंसि जिस विदेशी अनुदान करार के अन्तर्गत 4 लाख मीटरी टन मक्का का अनुदान भारत को किया था। इसमें से 2 लाख मीटरी टन मक्का 1988 में आयात किया गया था तथा शेष 2 लाख मीटरी टन का 1989 में। सहमत व्यवस्था के अनुसार यह मक्का निःशुल्क दिया गया था। लेकिन, भारत सरकार की ढुलाई का भाड़ा और वितरण तथा परिवहन आदि का सारा अन्य खर्च वहन करना पड़ा। देश में मक्का की उपलब्धता में वृद्धि के लिए 1987 में नैफेड को अर्जेन्टीना से वाणिज्यिक आधार पर मक्का का आयात करने की अनुमति भी दी गई थी। तदनुसार 1988 में 78,189 मीटरी टन मात्रा का आयात किया गया।

बाल कृष्ण समिति द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण की आलोचना

1299. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :
श्री राम नरेश यादव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाल कृष्ण कमेटी (सरकारिया आयोग) ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण की तीखी आलोचना की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में नियोजित विकास में धीमी गति का कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उसको सौंपे गए कर्तव्यों का उचित प्रकार से पूरा न किया जाना है ; यदि हां, तो क्या सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण में आमूल-चूल परिवर्तन करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) दिल्ली के ढांचे संबंधी पुनर्गठन समिति ने महसूस किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के सुनिश्चित नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के अपने मूल कार्यों के अतिरिक्त समय के साथ-साथ अन्य कार्य लिए और इससे उसके कार्य करने में गम्भीर हानि पहुंची है यह सिफारिश की गयी है कि ऐसे अतिरिक्त कार्यों को दिल्ली विकास प्राधिकरण से वापस ले लिया जाय। समिति की सिफारिशें जांचाधीन हैं।